–पेंतालीस–

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या क0नि0–5–2915/ग्यारह–2004–500(87)/2001
लखनऊ, दिनांक 09 जुलाई, 2004
अधिसूचना
आदेश

प0आ0–248

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन ाशक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 के अधीन हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए आवास एवं नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और निजी निवेशकर्ता विकासकर्ता कम्पनी, जो पॉच वर्ष की अवधि के भीतर लगभग 1500 एकड़ भूमि के विकास के लिए राज्य में सात सौ पचास करोड़ रुपये से अन्यून निवेशित किया हो, के मध्य निष्पादित उक्त अधिनियम की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण के प्रथम लिखत या अनुच्छेद 35 के खण्ड (क) के उपखण्ड (छ), खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) या खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) के अधीन 90 वर्ष की अवधि के लिये पट्टे की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क मे, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनॉक से छूट प्रदान करते हैं। स्थावर सम्पत्ति के अंतरण के उपर्युक्त लिखत के प्रस्तुतिकरण के पूर्व निजी निवेशकर्ता विकासकर्ता कम्पनी के पक्ष में सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्बन्धित जिले के पंजीयनकर्ता अधिकारी को उपर्युक्त शर्तें पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा। ऐसे प्रमाण–पत्र की प्रति, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजी जाएगी।

टिप्पणी :–इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ''निजी निवेशकर्ता विकासकर्ता कम्पनी'' का तात्पर्य ऐसी अनुभवी और ख्याति प्राप्त निजी निवेशकर्ता कम्पनियों से है जिनका पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम आवर्त एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक का हो और जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) की धारा 3 में यथा परिभाषित हो तथा जो विकासकर्ता कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर और वित्तीय क्षमता, अनुभव और संकल्पना और मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में किसी समिति द्वारा परीक्षित पूर्व साध्यता रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रस्तावों को मंगाने के पश्चात् आवास एवं नगर विकास द्वारा चयनित की गयी हो।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
रीता सिन्हा,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N. 5-2915/XI-2004-500(87)-2001, dated July 09, 2004 for general information.

No. K.N. 5-2915/XI-2004-500(87)-2001

Lucknow, Dated July 09, 2004

Notification

Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, The Governor is pleased to remit the Stamp duty for the date of publication of this notification in the Gazette for the development of High-tech Township under the Uttar Pradesh Industrial and Service Sector Investment Policy 2004, chargeable on the first instruments of Conveyance under clause (a) of Article 23 of instrument of lease for a period of 90 years under sub-clause (vi) of clause (a), sub-clause (ii) of clause (b) or sub-clause (ii) of clause (c) of Article 35 of Schedule 1-B of the said Act executed between the Housing and Urban development Department of the Government of Uttar Pradesh and the private investor developer company who has invested not less than rupees seven hundred and fifty crore in the State for the develipment of about 1599 Acre of land within a period of five years. A certificate of fulfillment of the above condition shall be issued by the Secretary. Housing and Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh, before presentation of the above instrument of transfer of immovable property in favour of the private investor developer company to the Registering Officer of the concerned Destrict. A copy of such certificate shall also be sent to the Inspector General of Registration, Uttar Pradesh, Allahabad.

Note:- for the purpose of this notification, "Private Investor Developer Company" shall mean experience and reputed private investor companies having a minimum turnover of rupees 100 crore or more in the previous three financial years and as defined in section 3 of the Companies Act, 1956 (Act no. 1 of 1956) selected by the Housing and Urban Devan Development after calling proposals advertised in National Daily newspapers on the basis of Project report submitted by the Developer Companies and on the basis of financial capacity, experience, concepts and pre-feasibility report examined by a committee headed by the Chief Secreatary, Government of Uttar Pradesh.

By order,
Sd/- Illegilble
RITA SINHA,

Pramukh Sachiv.